FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं SDO मुकाम ब्यावर (?)

दुर्गाराम वडोरा बनाम जीयाराम वडोरा

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन 111,128 RTR नं. 170/21 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
25/06/2021	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री कुम्भासिंह चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 10/08/2021 को पेश हो।	
10/08/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित / विप्रार्थीगणों के नोटिस तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-1 की ओर से वकील श्री हरीराम चौधरी द्वारा [illegible] पेश की गई तथा साथ ही प्रार्थना-पत्र वास्ते स्थगन आदेश की पालना में सुनवाई स्थगित करने बाबत प्रस्तुत किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। सीमान पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से मिसल [illegible] लेकर आगामी दिनांक 07/09/2021 को पेश हो।	विप्रार्थी संख्या 1 जीयाराम की under taking 10/8/2021

27/09/2021

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय
पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधि
कारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल
इल्तवा होकर दिनाक 01/12/21 को
पेश हों।

01/12/2021

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त/ श्रीमान पीठासीन अधिकारी प्रशासन गांवो के संग अभियान-2021 कैम्पो मे व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 22/02/2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (ODO)
बायतु

22/02/22

पत्रावली आज पेश हुई प्रार्थी व विप्रार्थी नं. 1 के वकील उपस्थित/ प्रार्थी वकील द्वारा एक प्रार्थना प्रस्तुत वास्ते खसरा नं. 459, 906/703, 905/460 मौजा व खसरा नं. 670/99, 676/101 मौजा कोसरिया को विड्रो करने का पेश किया गया/ जिसकी प्रति विप्रार्थी नं. 1 के वकील को दी गई/ विप्रार्थी नं. 1 के वकील द्वारा No objection की गई/ अतः प्रार्थी वकील के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर खसरा नं. 459, 900/703, 905/460 मौजा सापला व खसरा नं. 670/99, 976/101 मौजा कोसरिया को हटाया जाकर, आईन्दा फाइल दिनांक 27/09/2022 को पेश हो।

सहायक कलेक्टर (ODO)
बायतु
जिला – बाड़मेर

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाड़मेर) मुकाम बायतु

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27/09/22	प्रार्थी वकील व विप्रार्थी संख्या–1 उपस्थित/ शेष विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई/ अंतिम आवाज 5.45 PM पर लगाई गई। शेष विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा विप्रार्थीगणों के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी अधिवक्ता व विप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता की बहस सुनी गई, विप्रार्थी अधिवक्ता ने बताया मौजा– लापला के खेत खसरा नं. 713/454 रकबा 14.4326 हैक्टयर कि नेखमबन्दी में उनको कोई आप्पति नही है तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढ़ा सेढ़ आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें। अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वंय या अपने अधीनस्थः भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर (CDO) बायतु जिला – बाड़मेर	

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु, जिला बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/ 1296 दिनांक : 27/9/2022

प्रार्थी **बनाम** **विप्रार्थीगण**

1. दुर्गाराम पुत्र चेतनराम वगैरा 04, जाति जाट, निवासी लापला, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील बायतु (बाड़मेर)

1. जीयाराम पुत्र जेठाराम वगैरा 42, जाति जाट, निवासी लापला, पटवार मण्डल कोसरिया, तहसील बायतु (बाड़मेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या : 170/2021

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा – लापला, पटवार मण्डल – कोसरिया, तहसील – बायतु, जिला– बाड़मेर के खेत खसरा नं. 713/454 रकबा क्रमशः 14.4326 हैक्टयर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वंय या सहायक कमिशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेंतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनीर शुल्क 500/– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक : 27/9/2022

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर

क्रमांक : वाद/2022/ 1297-1301

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार बायतु
2. पटवारी हल्का कोसरिया को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री दुर्गाराम पुत्र चेतनराम वगैरा 04,
4. विप्रार्थी श्री जीयाराम पुत्र जेठाराम वगैरा 42,
5. पुलिस थानाधिकारी बायतु/गिड़ा/नागाणा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु
जिला-बाड़मेर